राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–10) विभाग

कमांक एफ19(90)गृह–10/2009पार्ट जयपुर, दिनांक 20.12.2016

बैठक कार्यवाही विवरण

गुर्जर आन्दोलन के दौरान दर्ज प्रकरणों की समीक्षा हेतु शासन सचिव गृह महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 15.12.2016 को दोपहर 3.00 बजे कमरा नं. 19 मंत्रालयिक भवन, शासन सचिवालय में बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में निम्न अधिकारीगण उपस्थित हुए:--

(A) अधिकारीगण

1. श्री देवेन्द्र दीक्षित, विशिष्ठ शासन सचिव गृह
2. श्री प्रमोद कौशिक, उप विधिं परामर्शी
3. श्री प्रेमकुमार सैन, अनुभागाधिकारी
4. श्री ओमप्रकाश बैरवा, अनुभागाधिकारी

(B) सहायक निदेशक अभियोजकगण

1. श्री जुगल किशोर दवे, अजमेर
2. श्री अनिल कुमार मेहता, बांसवाडा
3. श्री शिवदयाल बंसल, बारां
4. श्री विजयसिंह, अलवर
5. श्री पृथ्वीसिंह चूडावत, भीलवाडा
6. श्री जयपाल सिंह सोलंकी, भरतपुर
7. श्री कृष्णकुमार शर्मा, बूंदी
8. श्री हरिप्रकाश कंवरिया, चितौडगढ
9. श्री अजय श्रीवास्तव, धौलपुर
10. श्री सुरेन्द्र भारद्वाज, दौसा
11. श्री सुरेशचन्द सैनी, जयपुर शहर प्रथम
12. श्री अशोक कुमार पारीक, जयपुर शहर द्वितीय
13. श्री रामखिलाडी मीणा, जयपुर देहात
14. श्री दौलत राम पंवार, बाडमेर
15. श्री मोहम्मद आदि शेरवानी, झालावाड
16. श्री किशोर कुमार हर्षवाल, झुंझुंनू
17. श्री पदमचंद, करौली
18. श्री रामकेश मीना, कोटा
19 श्री महेश दाधिच, नागौर
20. श्री ओमप्रकाश मेहता, राजसमन्द
21. श्री उमाशंकर खण्डेलवाल, सीकर
22. श्री रमाकान्त वशिष्ठ, टोंक
23. श्री राकेश कुमार मित्तल, उदयपुर
24. श्री जोराराम, जोधपुर

बैठक के प्रारम्भ में शासन सचिव महोदय ने राज्य में गुर्जर आन्दोलन के दौरान दर्ज प्रकरणो की समीक्षा हेतु जो डाटा बेस तैयार किया गया है, उस पर प्रकाश डाला एवं यह कहा कि उक्त डाटा बेस को अद्यतन करने का कार्य सहायक निदेशक अभियोजनगण द्वारा जो सूचनाऐ उपलब्ध करवाई जा रही है, उससे पूर्ण हो सकेगा।

पुलिस द्वारा अनुसंधान के उपरान्त ऐसे प्रकरणो में अंतिम प्रतिवेदन पेश किया जाता है, न्यायालय में अंतिम प्रतिवेदन को स्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में सहायक निदेशक अभियोजनगण प्रभावी पैरवी की व्यवस्था करे।

राज्य सरकार द्वारा जिन प्रकरणों को न्यायालय से वापस लिये जाने का निर्णय लिया है ऐसे प्रकरणो में राज्य पक्ष की ओर से धारा 321 दण्ड प्रकिया संहिता में प्रार्थना पत्र प्राथमिकता से पेश करावे एवं ऐसे प्रकरणो में भी प्रभावी पैरवी करे। अगर ऐसे प्रार्थना पत्र को न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाता है, तो उसकी सूचना राज्य सरकार को भिजवाये एवं प्रार्थना– पत्र अस्वीकार किये जाने की दशा में उस आदेश की निगरानी करवाये जाने हेतु प्रस्ताव जिला मजिस्ट्रेट को प्रेषित करे। ऐसे प्रकरणो में रिवीजन पेश की गई हो अगर रिवीजन भी न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दी गई है, तो ऐसी अवस्था में प्रकरण को जिला स्तरीय समिति की बैठक में पुनः रखा जाए एवं प्रकरण को पुनः वापस लिये जाने के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित करे।

सहायक निदेशक अभियोजनगण का यह कथन था कि अंतिम प्रवितेदन पुलिस सीधे ही न्यायलाय में पेश कर देती है, जिसकी जानकारी उन्हें नहीं होती है। इस संबंध में निर्णय लिया गया कि पुलिस अनुसंधान के उपरान्त प्रकरण का नतीजा चाहे आरोप– पत्र अथवा अंतिम प्रतिवेदन के रुप में पेश करे, दोनो ही स्थिति में पुलिस अभियोजन अधिकारी की मार्फत ही न्यायालय में पेश करे।

न्यायालय में लम्बित प्रार्थना पत्रो में प्रभावी पैरवी कर लम्बित प्रकरणो का शीघ्र निस्तारण करवाने की कार्यवाही करवाये। न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणो में राज्य सरकार के आदेशो की अक्षरशः पालना सुनिश्चत की जाये।

सभी सहायक निदेशक अभियोजनगण को निर्देश प्रदान किये गये कि जिला मजिस्ट्रेट से सम्पर्क कर जिले में लम्बित प्रकरणो को जिला कमेटी की मीटिंग आयोजित कर उन पर कार्यवाही करे।

(देवेन्द्र दीक्षित)
विशिष्ठ शासन सचिव गृह
एवं संयुक्त विधि परामर्शी

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–
1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह।
2. निजी सचिव, शासन सचिव गृह।
3. संबंधित सहायक निदेशक, अभियोजन

(प्रमोद कौशिक)
उप विधि परामर्शी